

13/7/21

फावली राज घेरा ई.ई.

मपीलोट द्वारा यह मपील राज्य लोक सूचना अधिनियम
1987 उपखण्ड मपीलोट रोड के समक्ष अर्न्तगत
धारा 19(1) सूचना के अधिकाधिक अधिवासीय के अन्त
का कोषित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है
रसो. को इस न्यायालय द्वारा लिख जोर प्रा. उद्देश्य
सबगत करामा कि विद्युत में ① व ③ की सूचना न्यायालय
उपखण्ड मपीलोट से सम्बन्धित है उसे निर्धारित शुल्क
जमा कराकर निम्नानुसार प्रकाशित प्रति प्राप्त करे हेतु
समाख्या में प्रगु घोषित कर दिया गया था तथा विद्यु
संख्या ① की सूचना की मूल फावली इस न्यायालय में
घोषित कर दी गई थी तथा केवल भी है - धुकी भी
जिसकी सूचना न्यायालय के उपखण्ड मपीलोट रोड
को रेकोर्ड द्वारा प्रतिनिधी शाखा से न्यायालय को घोषित की
जाती है। इनके द्वारा घोषित कर की गई है।

मपीलोट को कोषित सूचना घोषित
कर दिए जाते हैं इस मपील के संदर्भ में किसी
प्रकार की बहिष्कारी अयोग्यता नहीं रह जाती है।
निहाजा प्रार्थना मपीलोट को भी सूचित कर दिया
गया है। अतः यह मपील इस तरह पर कार्य
की जाती है।

फावली इस न्यायालय से शुक्रादि के समय
की जाकर नम्बर से करे है।

जिला कलेक्टर, बाली



28/7
10/8/21
10/8/21